न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 47/2023 (GCMS C.N. 2023/344)

आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राज्य सरकार जरिए **बनाम** तहसीलदार बिजौलिया	1. पन्नालाल धाकड़ पुत्र मूणलाल धाकड़ निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
–प्रार्थी	–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता, विपक्षीगण की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 02/02/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी पन्नालाल पिता मूणलाल धाकड निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया को ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा की **आ.न. 427/306 रकबा 0.3238 भूमि** किस्म बंजड़ दिनांक **10.01.1985** को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटी जो कि अप्रार्थी है द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। अतः प्रार्थना पत्र से पर्चा मौका, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, पर्चा आवंटन आदेश की प्रति वास्ते अवलोकन संलग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पंजीबंध किया जाकर, विपक्षी को नोटिस जारी करें। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आंवटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार बिजौलियां द्वारा गलत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में तथ्यों का सही विवेचन न करके मात्र तयशुदा एक समान प्रपत्र में उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो गलत है तथा उसमें वर्णित किये गये आवंटन निरस्तीकरण के कारण गलत दर्शित है तथा यह कहना कि आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है तथा आवंटन के बाद उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया है गलत है। आवंटी ने आवंटन के बाद से ही उक्त भूमि को उन्नत और आबाद किया है तथा उस पर लागत लगाकर कृषि कार्य किया है तथा उक्त भूमि पर निरन्तर कृषि करता चला आ रहा है जिसका विवरण खसरा गिरदावरी में अंकित है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही एवं लालच के कारण उक्त कर्मचारियों ने उक्त भूमि में की गई कृषि के प्रकार का वर्णन सही ढंग से राजस्व रेकार्ड में नहीं किया है। जबकि आवंटी उक्त आंवटित भू पर लगातार वर्षों में मक्की, तिल, सरसों, मंसूर व अन्य फसल बोई है। तथा निरन्तर आवंटित भूमि पर कृषि की जाती रही है। पटवारी हल्का द्वारा यदि कुछ जिन्सवारी का इन्द्राज नहीं किया गया तो इसके कारण आंवटी द्वारा कृषि नहीं किया जाना नही माना जा सकता है। पटवारी हल्का अपने मुख्यालय में बैठकर गलत जिन्सवारी दज करते है तथा मौके पर जाकर जिन्वारी दर्ज नहीं करते है। उक्त आवंटन निरस्तीकरण के प्रार्थनापत्र में मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार बना कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आंवटन की वस्तु स्थिति का गलत वर्णन किया है। उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट में आवंटी को उपस्थित होने हेतु नही बुलाया गया, केवल मात्र कार्यालय में बैठकर उक्त पटवारी रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें फर्जी तरिके से गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिये गये जबकि वे वहां उपस्थित ही नही थे तो उनकी उपस्थिति गवाह के

2.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रूप में लिखवा दी गई। इस प्रकार आवंटी के आंवटन को निरस्त करने का गलत दस्तावेज तैयार किया है। पटवारी हल्का की दैनिक कार्य की विवरण पुस्तिका मांग कर अवलोकन कराई जावें कि किस क्षेत्र की कब जिन्सवारी उन्होने की ओर किस काश्तकार से पूछ कर जिन्सवारी विपक्षी के कब्जेवाली भूमि की गई। तथा राजस्व नियमावली के अनुसार आवंटी को राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970) के नियम 18 के उपनियम 4 में किये गये संशोधन अनुसार आवंटित भूमि मे आवंटी को तीन वर्ष पश्चात् स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदत हो जाते हैं। खातेदारी अधिकार प्रदत होने के पश्चात् नियम 1970 के तहत आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। आवंटी को आवंटन से गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। तथा उक्त पटवारी हल्का द्वारा ही भूमि में आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के लिए रिपोर्ट करनी होती है। तथा राजस्व नियमों के अन्तर्गत यदि किसी आवंटी को आवंटन से गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तीन वर्ष से अधिक हो चुके है तो ऐसे गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते है। यदि ऐसा नहीं किया होता है तो यह राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही है तथा ऐसा आवंटन निरस्त करने लायक नही है। तथा जहां आवंटन पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट उक्त सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट उल्लेख है।ऐसा आवंटन बिना किसी तकनीकी त्रुटि के खारिज नही किया जा सकता है। यदि आवंटी द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटन शर्तों की पालना आवंटी ने नहीं की तो पटवारी हल्का ने उसकी रिपोर्ट क्यो कर लैण्ड होल्डर को नही दी। यदि रिपोर्ट दी है तो दस्तावेज प्रस्तुत करवाया जाना चाहियें। यदि दूसरे वर्ष भूमि पर काश्त नही की गई तो उस बाबत बनायी गई मौका पर्चा रिपोर्ट श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करवाई जावें। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी समय पर नही की गई जिन्सवारी को छिपाने के लिये मिथ्या आरोप के साथ आवंटन खारिजी का रेकार्ड तैयार किया गया है जो कि गलत है। उक्त आवंटन को लगभग 40–41 वर्ष हो गये है तथा आवंटी ने आवंटन होने से लेकर अब तक उक्त भूमि पर काश्त की है तथा उक्त आवंटन को नक्शे में तरमीम नही किये जाने की कोई जानकारी नही थी तथा उसके द्वारा लगातार कृषि की जाती रही है। कृषि आराजीयात पर अपने हिस्से पर काबिज है तथा कई मर्तबा पटवारी हल्का तथा तहसीलदार के यहां उक्त भूमि पर कृषि करने का इन्द्राज कराने हेतु सम्पर्क किया गया पन्तु कोई भी प्रभावी कार्यवाही उनके द्वारा नही हो पाई तथा वर्तमान में उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को ही निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जबकि विपक्षी आवंटी ने लागत लगाकर उक्त कृषि भूमि पर खेती की है। आवंटन के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नक्यो में आवंटन के आदेया के तहत पहले कच्ची व बाद में पक्की तरमीम करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का है। पटवारी हल्का के कार्यों का निरीक्षण भू अभिलेख निरिक्षक व तहसीलदार द्वारा किया जाता है। यदि आवंटी ने आवंटन शों की पालना नही की होती तो दोनो में से कोई भी उसी समय आवंटन खारिज किये जाने की सिफारिश काफी समय पूर्व ही कर देते परन्तु ऐसा नहीं किया गया। आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना की है तथा उस भूमि पर लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उसके द्वारा लगातार वर्षों में कृषि की जाती रही है। तथा आवंटी ने लगातार वर्षों में तिल, मक्का, सरसों व अन्य फसल बोई है जिसका उल्लेख राजस्व रेकार्ड मं दर्ज है तथा उसके बाद आवंटी का ही कब्जा होकर वर्तमान में भी कृषि की जा रही है। यदि आवंटी को आवंटीत भूमि पर काश्त नहीं करना होता तो वह क्यो कर वह आवंटन हेतु आवेदन ही करता। प्राथी द्वारा विपक्षी के आवंटन को खारिज करने हेतु निवेदन किया है। ऐसे आवंटन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में व्यक्त किये गये मतानुसार खारिज नहीं किया जा सकता है

(अ) RBJ 23 2016 PAGE 102, एवम RBJ 23 2016 PAGE 418 आवंटन के तीन साल बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो तो है उसके बाद आवंटन खारिज नही किया जा सकता है।

(ब) RBJ 2018 Page 479 Rajasthan high court

(स) RBJ 2017 Page 31

इन सभी निर्णयों मे मत व्यक्त किया गया है कि आवंटन के पश्चात् यदि आवंटन हुये लम्बा समय निकल गया है तो ऐसे आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार के आवंटन को प्रार्थी ने निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया है वह 30 वर्षा से अधिक पुराने है जिसको खारिज किया जाना कतई न्यायोचित नही है तथा लम्बा समय निकल जाने पर आवंटी के खातेदारी अधिकार उसमें निहित हो जाते है। जिसका विवेचन माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश मंगला बनाम स्टेट आफ राजस्थान WLC (raj) 2007 page 234 तथा सोहन कुमार बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू WLC(RAJ) 2002(1) में किया गया है इस प्रकार उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तों

न्यायालय अति. जिला कलक्टर मीलवाड़ा (राज.)

2.2.26
अति जिला कलक्टर
मीलवाड़ा

के अनुसार प्रथम वर्ष में आधी एवम् द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण आवंटीत भूमि पर आवंटी द्वारा काश्त किया जाना आवश्यक होता है। यदि आवंटी ने उसकी पालना नही की होती तो तत्कालीन पटवारी हल्का तुरन्त लैण होल्डर (तहसीलदार) के संज्ञान में लाना था कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी इसलिए आवंटन निरस्त करवाया जावें अब लम्बे समय लगभग 30 वर्ष के बाद यह आवति लेते हुये कि खसरा गिरदावरी अनुसार आवंटन शर्तों की पालना नही किया जाना प्रार्थी की जानकारी में आया है इसलिए आवंटन निरस्त किया जाये, माने जाने योग्य नही है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि लगभग 30 वर्ष तक प्रार्थी लैण्डहोल्डर को यह जानकारी ही नहीं हुई कि आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना ही नही की है जबकि लैण्ड होल्डर वर्ष में एक बार पटवारी हल्का के कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करता है व पटवारी हल्का प्रतिवर्ष दो बार जिसंवारी करता है इसलिए लम्बे समय तक आवंटन निरस्ती की कार्यवाही नहीं किया जाना स्पष्ट करता है कि पटवारी हल्का मौके पर जिन्सवारी करने गये ही नहीं। मौके पर विपक्षी ने भारी लागत लगाकर भूमि को कृषि उपयोग हेतु बना उस पर काश्त कर रहा है एवम् मेडबन्दी व फेंसिंग की हुई है। पटवारी के समय पर मौके पर जाकर जिन्सवारी नही करने व कार्यालय में बैठकर तैयार रेकार्ड के आधार पर आवंटन को खारिज किये जाने हेतु निवेदन करना अनुचित है। तथा ऐसा सम्बन्धित रेकार्ड भी न्यायालय में पेश नही किया है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा तयशुदा फार्म में ही किया गया है जबकि वास्तविक स्थिति का कोई विवरण नही दिया गया है। तथा प्रार्थी तहसीलदार व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा गलत मौका पर्चा रिपोर्ट बनाकर पेश किया है मौके पर विपक्षी काबिज होकर काश्त कर रहे है तथ वर्तमान मौका पक्ष बनाते समय विपक्षी आवंटी को बुलाया ही नही गया। केवल मात्र कार्यालय में बैठकर मौका पर्चा बना दिया गया है जो गलत है पटवासी हल्का की रिपोर्ट वैस भी अमान्य है क्योकि उसके पास 4 वर्ष से अधिक का रेकार्ड ही नहीं रहता है उस रिपोर्ट में अतिशोकित पूर्ण तरिके से लिखा गया कि आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी। इससे स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों ने आवंटनो को खारिज कराने का लक्ष्य दे दिया जिसके परिपेक्ष में. मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई व उसके आधार पर यह आवेदन पेश किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त आवंटन निरस्तीकरण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार फरमाया जाकर आवंटी के आवंटन को बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विभागीय पेरोकार द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्यों हेतु आवंटन पश्चात् उपयोग में नहीं लायी गयी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) **स्वीकार** योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का **स्वीकार** कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा की आ.न. **427/306 रकबा 0.3238 हैक्ट.** भूमि आवंटन को **खारिज** किया जाता हैं एवं तहसीलदार **बिजौलिया** को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आ.न की भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.2.26

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा